कार्यालय निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिशा–निर्देश

कृपया भेड़ प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण (जि0यो0) के अन्तर्गत शासनादेश संख्याः 1934/सैंतीस–2–2017–1(44)/2017 दिनांकः 16 जुलाई,2019 द्वारा विभिन्न मानक मदों में धनरशि रू0–130.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके क्रम में वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग,उ0प्र0 लखनऊ के आवंटन पत्र संख्याः 773/बजट/29(5)/अनु0–15/35/2019–20 दिनांक 22.7.2019 द्वारा विभिन्न मानक मदों में उक्त धनराशि रू0–130.00 लाख का आवंटन किया जा चुका है का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त आवंटित धनराशि व्यय करने के संबंध में निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन करना सुनिश्चित करेः–

1– शासनादेश दिनांक 16 जुलाई,2019 तथा वित्त नियंत्रक,पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के आवंटन पत्र दिनांक 22.7.2019 द्वारा दिये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाय।

2– शासन के पत्र संख्याः 270/सैतीस–2–2019–33(5)/84टी.सी. दिनांक 23 मई 20019 **(छाया प्रति संलग्न)** का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाय।

3– योजना में आवंटित धनराशि का व्यय योजना में उपलब्ध परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा अधिक व्यय वित्तीय अनियमितता होगी।

4– आवंटित धनराशि का व्यय योजना के निहित उद्देश्यों/प्रायोजन की पूर्ति के लिये ही किया जाय।

5– योजना के मानक मद 02 में आवंटित धनराशि का व्यय प्रक्षेत्र पर रखे गये दैनिक श्रमिकों के मजदूरी के भुगतान हेतु किया जाय।

6– योजना के मानक–मद 39 में आवंटित धनराशि का व्यय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार ही दवाओं/उपकरणों आदि का क्रय किया जाये। अनुमोदित सूची के बाहर से क्रय करने हेतु गठित विशेषज्ञ समिति का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित किया जाय।

7– योजना के मानक मदों–40, 42 में आवंटित धनराशि का व्यय जिला उद्योग केन्द्र अन्तर्गत पंजीकृत फर्मो के माध्यम से ही क्रय करते हुये किया जायेगा।

8– फर्म का विगत वर्ष तक का आयकर रिर्टन जमा होना चाहिए।

9– व्यापार कर विभाग से विगत वर्ष का अदेयता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा।

10– किसी भी पंजीकृत फर्म के पास इन दोनों प्रमाण–पत्र न होने की दशा में क्रय आदेश कदापि न निर्गत किये जाय।

11– योजना में जब तक धनराशि उपलब्ध न हो, तब तक ई–टेण्डर/कोटेशन आमंत्रित नही किये जायेगें।

12– मानक मद–43 साम्रगी और सम्पूर्ति मद में आवंटित धनराशि से प्रक्षेत्र पर ब्रीडिंग स्टाक पूर्ण करने हेतु पशुओं का क्रय एवं/अथवा राशन आदि का क्रय किया जायेगा तथा मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों/मुख्य तकनीकी अधिकारियों द्वारा उक्त मद में आवंटित धनराशि से जनपद में भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों/मेढ़ा केन्द्रों पर स्वीकृत मेढ़ा सांड अथवा **अंशदान पर वितरित करने** हेतु पशुओं का क्रय एवं/अथवा राशन आदि का क्रय किया जायेगा। **मेढ़े क्रय करने हेतु अपनी मांग अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।**

13– प्रक्षेत्रों पर उपलब्ध मादा भेड़ों में ''इनब्रीडिंग'' से बचने हेतु अन्य प्रक्षेत्रों से नर मेढ़ों का क्रय किया जाय। जिससे इनब्रीडिंग से बचा जा सकें। यदि पैरेन्ट स्टाक में प्रजनन योग्य मादा/नर न हो तो उनके विचयन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। साथ ही उसके स्थान नया पैरेन्ट स्टाक (मादा) का क्रय किया जाय। जिसके लिये अपना मांग पत्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

14– 29 अनुरक्षण मद में आवंटित धनराशि को शासनादेश संख्याःए–2–1092/दस– 2011–24 (7)/95 दिनांक 25 नवम्बर,2011 के विवरण पत्र XVII के बिन्दु संख्या–17 में निहित प्रविधानों एवं निर्देशो के अनुसार ही कार्यवाही की जाय तथा **(भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों/मेढ़ा केन्द्रों के अनुरक्षण (मरम्मत) कार्य)** अनुरक्षण में कराये जाने वाले कार्यो की प्राथमिकता निर्धारित करते हुये उनका आगणन प्राप्त कर लिया जाय तथा उसकी एक प्रमाणित छाया प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाय।

.....2/–

15– योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष यदि जिला योजनान्तर्गत परिव्यय स्वीकृत नही है तो जिला योजना समिति से परिव्यय स्वीकृत कराने के उपरान्त ही आवंटित धनराशि का व्यय किया जाय।

योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि को उपरोक्त दिये गये निर्देशों के अनुसार ही व्यय किया जाये। उपरोक्त दिये गये दिशा–निर्देशों के इतर व्यय करना अनियमितता होगी, योजना के परीक्षणोपरान्त वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर व्यय की गयी धनराशि की वसूली नियमानुसार संबंधित अधिकारी से की जायेगी।

ह0/–
(डा0 एस0के0 श्रीवास्तव)
निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।

संख्याः 765 /प0–1/9ख/सूकर प्रक्षेत्र/1/2019–20 दिनांकः 29-7-19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रक्षेत्र अधीक्षक, राजकीय भेड़ एवं बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, बोहदपुरा उरई जालौन को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि प्रक्षेत्र हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष अपना मांग पत्र मु0प0चि0अ0 जालौन को उपलब्ध कराते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

2– परियोजना निदेशक, बृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, भैसौड़ा नौगढ़ चन्दौली।

3– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, बदायूँ, आजमगढ़, मऊ, बलिया, वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर, गाजीपुर, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, झांसी, जालौन, ललितपुर, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, मुजफ्फरनगर, शामली, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, मिर्जापुर,सोनभद्र,संतरविदास नगर (भदोही), कानपुर नगर।

4– मुख्य तकनीकी अधिकारी (भेड एवं ऊन) वाराणसी/चन्दौली/प्रयागराज/कौशाम्बी/मिर्जापुर तथा संतरविदासनगर (भदोही) को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि योजनान्तर्गत आपके जनपद हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष मांग पत्र मुख्य पशुचिकित्साधिकारी वाराणसी/ चन्दौली/ कौशाम्बी/ मिर्जापुर तथा संतरविदासनगर (भदोही) /अपर निदेशक,ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, प्रयागराज को उपलब्ध कराते हुये नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

5– उपनिदेशक(प्रक्षेत्र)पशुपालन विभाग,महानगर, लखनऊ।

6– अपर निदेशक,ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, प्रयागराज मण्डल प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि जनपद प्रयागराज को आवंटित की गयी धनराशि का आहरण मुख्य तकनीकी अधिकारी (भेड़ एवं ऊन) प्रयागराज द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र के अनुसार करना सुनिश्चित करे।

7– मण्डलीय अपर निदेशक,ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, आगरा,, बरेली, आजमगढ़, वाराणसी, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर, सहारनपुर, मिर्जापुर।

8– प्रायोजना अधिकारी, सघन भेड़ एवं ऊन विकास, प्रायोजना, मिर्जापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष अपना मांग पत्र मुख्य पशुचिकित्साधिकारी मिर्जापुर को उपलब्ध कराते हुये नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

9– वित्त नियंत्रक, प्रधान कार्यालय।

10– अनु सचिव, पशुधन अनुभाग–2,उ0प्र0शासन, सचिवालय,लखनऊ।

11– श्री नवीन गुप्ता, कम्प्यूटर सुपरवाईजर, प्रधान कार्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त दिशा–निर्देशों को विभागीय, वेबसाईट पर डालना सुनिश्चित करें।

(डा0 एस0के0 श्रीवास्तव)
निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।

423/पं०
29/05/2019

संख्या-270/सैंतीस-2-2019-33(5)/84टीसी

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-23 मई, 2019

विषयः- **पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत प्रयुक्त की जाने वाली औषधियों/वैक्सीन, उपकरणों हेतु क्रय नीति के निर्धारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-515/क्र.प्र.से./क्रय नीति-5/2018-19, दिनांक-08.01. 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत प्रयुक्त की जाने वाली औषधियों/वैक्सीन, उपकरणों हेतु क्रय नीति निर्धारण के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-343/सैंतीस-2-2017-33(5)/84, दिनांक-10.03.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-1876/सैंतीस-2-2018-33(5)/84टीसी, दिनांक-05.06.2018 तथा शासनादेश संख्या-3014/सैंतीस-2-2018-33(5)/84टीसी, दिनांक-04.09.2018 में किये गये कतिपय संशोधनों के साथ उक्त नीति को वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 (दो वर्ष के लिए दर निर्धारण/अनुबन्ध) के लिए निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत प्रयुक्त की जाने वाली औषधियों/वैक्सीन, उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए नीति निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

1. औषधि, वैक्सीन, उपकरण, मिनरल मिक्स्चर की पृथक-पृथक ई-निविदा आमंत्रित की जायेगी। इनके निविदा प्रपत्र, निविदादाता की पात्रता भी पृथक-पृथक निर्धारित की जायेगी।
2. औषधियों में से जो सामग्री जेम पोर्टल पर दर अनुबन्ध उपलब्ध होगी, उनको हटाते हुए निविदा पर पृथक-पृथक रूप से विचार किया जायेगा।
3. औषधियों हेतु भारत सरकार के उपक्रमों (सी.पी.एस.सी.) से सीधे अधिकतम 25 प्रतिशत क्रय किया जायेगा। शेष हेतु (जेम पोर्टल पर उपलब्ध औषधियों को हटाने के बाद व सी. पी.एस.सी. से क्रय करने के पश्चात् शेष को 25 प्रतिशत घटाने के बाद अवशेष) ई-निविदा आमंत्रित की जायेगी। सी.पी.एस.सी. से सीधे क्रय भारत सरकार के MANUAL FOR PROCUREMENT OF GOODS 2017 के प्राविधान 1.10.2 के क्रम में किया जायेगा।
4. इसी प्रकार (वैक्सीन, उपकरण, मिनरल मिक्स्चर में भी जो सामग्री जेम पोर्टल पर दर निर्धारण/अनुबन्ध पर उपलब्ध होगी को छोड़कर) अवशेष मात्रा हेतु ही ई-निविदा की जायेगी।
5. ई-निविदा मात्र 02 वर्ष हेतु (दर निर्धारण/अनुबन्ध) होगी।
6. ई-निविदादाताओं को गत् 03 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 05 करोड़ का टर्न ओवर रहेगा परन्तु एम.एस.एम.ई./एस.एस.आई. इकाईयों को टर्न ओवर से छूट प्रदान होगी।
7. (क) विगत् 03 वर्षों में किसी भी एक कोटेड प्रोडक्ट (औषधि), जिसके लिए निविदा भरी जा रही है, भारत के न्यूनतम एक तिहाई राज्यों (अर्थात् न्यूनतम 08 राज्यों) में आपूर्ति करायी गयी हो, इस विषयक निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें:-

क्र0	राज्य का	होल सेलर	वर्ष 2016-17			वर्ष 2017-18			वर्ष 2018-19		
			इन्वायस	इन्वायस	मूल्य	इन्वायस	इन्वायस	मूल्य	इन्वायस	इन्वायस	मूल्य

	नाम	का नाम	संख्या	का दिनांक		संख्या	का दिनांक		संख्या	का दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(ख) उत्पादनकर्ता से होलसेलर/डिस्ट्रीब्यूटर हेतु इनवायस कापी एक ही हो।

3- उक्त के अतिरिक्त एफ.एम.डी. वैक्सीन, एच.एस. वैक्सीन व अन्य वैक्सीन तथा पशु आरोग्य मेलों के लिए औषधियों, वैक्सीन एवं मिनरल मिक्स्चर को ई-निविदा प्रकिया पूर्ण होने अथवा दिनांक-30.06.2019 (जो भी पूर्व में हो) तक वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के वैध एवं पात्र आपूर्तिकताओं से ही वर्ष 2018-19 की दरों पर ही, कार्यहित व जनहित में क्रय किया जाये।

4- विभाग की अन्य योजनाओं में भी उक्त प्रकिया को लागू किया जाये।

5- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक-10.03.2017, 05.06.2018 एवं 04.09.2018 में शेष उपबन्ध/शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-270(1)/सैतीस-2-2019- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम)/लेखा अनुभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
3. अपर निदेशक ग्रेड-1, बी.पी. संस्थान, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर निदेशक ग्रेड-1 (गोधन विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. संयुक्त निदेशक, रोग नियंत्रण, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
7. प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, उ0प्र0पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
8. प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, उ0प्र0पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
9. मुख्य ड्रग कन्ट्रोलर, उ0प्र0, लखनऊ।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
12. उप निदेशक, प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, लखनऊ।
13. वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
14. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

भेड़ प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढीकरण (जि0यो0) योजना के संचालित किये जाने हेतु कार्ययोजना/गाइड लाइन्स।

भेड़ प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढीकरण (जि0यो0) योजना अन्तर्गत चयनित जनपदों में निम्नलिखत कार्य किये जायेगें :–

1– प्रदेश में भेड़ एवंऊन प्रसार केन्द्र/मेढ़ा केन्द्रो द्वारा पर रखे गये नर मेढ़ों से 330000 भेड़ों में प्रजनन कार्य, 260000 भेड़ों को चिकित्सा, 400000 भेड़ों में दवापान (कृमिनाशक) आदि कार्य किया जायेगा। 330000 भेड़ों में प्रजनन कार्य से 230000 संतति उत्पन्न होने का अनुमान है।

2– प्रदेश के **180–भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द एवं 05–मेढ़ा केन्द्रो** पर रखे गये मेढ़ों के राशन, चिकित्सा,दवापान आदि का कार्य किया जायेगा।

3– बृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, भैसौड़ा नौगढ़ चन्दौली (1200 नर/मादा भेड़ों) एवं राजकीय भेड़ एवं बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, बोहदपुरा उरई जालौन (427 नर/मादा भेडों) पर पाली जा रही भेड़ों के लिये राशन कय किया जायेगा।

4– प्रक्षेत्रों पर रखे गये दैनिक श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान किया जायेगा।

5– प्रक्षेत्रों पर रखी गयी भेड़ों की चिकित्सा ,दवापान आदि कार्य किया जायेगा।

6– प्रक्षेत्र, भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र/मेढ़ा केन्द्रो के जर्जर भवन/बाडों की मरम्मत का कार्य किया जायेगा।

7– प्रक्षेत्रों पर उत्पन्न नर(मिढ़ा) भेड़ पालको को (नस्ल सुधार हेतु) प्रजनन कार्य हेतु अंशदान/पुस्तकीय मूल्य पर उपलब्ध कराया जायेगा।

8– भेड़ पालको को भेड़ पालन प्रारम्भ किये जाने हेतु उनकी मांग पर मादा (भेड़) को पुस्तकीय मूल्य पर वितरित किया जायेगा।

योजनान्तर्गत प्रदेश में भेड़ पालन को बढ़ावा दिये जाने तथा भेड़ पालकों द्वारा पाली जा रही भेड़ों में मृत्युदर में कमी, नस्ल सुधार ,मांस एवंऊन उत्पादन में बृद्धि किये जाने के उद्देश्य से कार्य योजना प्रस्तुत की गयी है। जिससे उनकी आय में बृद्धि हो सकें।

(डा0 एस0 के श्रीवास्तव)
निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र